संख्या-925/2025/232/22-2-2024-17(216)/2024

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 29 जुलाई, 2025

विषय:- जिला कारागार, सन्तकबीरनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवचन्द यादव पुत्र श्री महादेव यादव, निवासी जनपद-आजमगढ़ की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-2599/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-12.01.2024), दिनांक 29.01.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, सन्तकबीरनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवचन्द यादव पुत्र श्री महादेव यादव, जो कोल्हुआं, थाना-सरायमीर, जनपद-आजमगढ़ का निवासी है। (1) प्रथम केस- रास्ते के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 15.07.2005 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टे से गोली मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या की गयी तथा बन्दी द्वारा कट्टे से फायर किये जाने के दौरान अपने भाई दीपू उर्फ दीपचन्द की गोली लगने से मृत्यु हो गयी। (2) द्वितीय केस-आपसी विवाद की रंजिश को लेकर 06.01.1998 को बन्दी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर भाला, बल्लम व तमन्चे से गोली मारकर जय सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराधों हेतु बन्दी को (1) सत्र परीक्षण संख्या-251/2008, भा0द0वि0 की धारा-302/34, 504, 301 में मा० अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-04, आजमगढ़ के आदेश दिनांक 07.09.2013 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 27.02.2017 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया। (2) सत्र परीक्षण संख्या-488/1998, भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302/149 में मा० अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-08, आजमगढ़ के आदेश दिनांक 20.09.2006 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। बंदी द्वारा प्रथम केस में दिनांक 02.11.2023 तक अपरिहार 18 वर्ष, 03 माह 13 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष, 06 माह 16 दिन की सजा पूरी कर ली है। (2) द्वितीय केस में दिनांक 11.07.2023 तक अपरिहार 17 वर्ष, 01 माह 02 दिन तथा सपरिहार 21 वर्ष, 11 माह 26 दिन की सजा पूरी कर ली है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी के पुनः कारागार से मुक्त होने पर पुनः अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी के जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा बन्दी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि (1) प्रथम केस- रास्ते के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 15.07.2005 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टे से गोली मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या की गयी तथा बन्दी द्वारा कट्टे से फायर किये जाने के दौरान अपने भाई दीपू उर्फ दीपचन्द की गोली लगने से मृत्यु हो गयी। (2) द्वितीय केस- आपसी विवाद की रंजिश को लेकर 06.01.1998 को बन्दी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर भाला, बल्लम व तमन्चे से गोली मारकर जय सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। बन्दी द्वारा 02 अलग-अलग वादों में 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी शिवचन्द यादव पुत्र महादेव यादव, निवासी जनपद-आजमगढ़ को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, सन्तकबीरनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवचन्द यादव (बन्दी संख्या-44/2023) पुत्र श्री महादेव यादव, निवासी जनपद-आजमगढ़ की यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के प्राबिधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी के लाईसेन्स पर मुक्ति मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन का आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

संख्या-925/2025/232(1)/22-2-2024 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, सन्तकबीरनगर ।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के संदर्भ में।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasana

शासनादेश संख्या-925/2025/232/22-2-2024-17(216)/2024

दिनांकः 29 जुलाई, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, सन्तकबीरनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवचन्द यादव पुत्र श्री महादेव यादव, जो कोल्हुआं, थाना-सरायमीर, जनपद-आजमगढ़ का निवासी है। (1) प्रथम केस- रास्ते के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 15.07.2005 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टे से गोली मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या की गयी तथा बन्दी द्वारा कट्टे से फायर किये जाने के दौरान अपने भाई दीपू उर्फ दीपचन्द की गोली लगने से मृत्यु हो गयी। (2) द्वितीय केस-आपसी विवाद की रंजिश को लेकर 06.01.1998 को बन्दी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर भाला, बल्लम व तमन्चे से गोली मारकर जय सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराधों हेतु बन्दी को (1) सत्र परीक्षण संख्या-251/2008, भा0द0वि0 की धारा-302/34, 504, 301 में मा० अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-04, आजमगढ़ के आदेश दिनांक 07.09.2013 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 27.02.2017 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया। (2) सत्र परीक्षण संख्या-488/1998, भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302/149 में मा० अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-08, आजमगढ़ के आदेश दिनांक 20.09.2006 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। बंदी द्वारा प्रथम केस में दिनांक 02.11.2023 तक अपरिहार 18 वर्ष, 03 माह 13 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष, 06 माह 16 दिन की सजा पूरी कर ली है। (2) द्वितीय केस में दिनांक 11.07.2023 तक अपरिहार 17 वर्ष, 01 माह 02 दिन तथा सपरिहार 21 वर्ष, 11 माह 26 दिन की सजा पूरी कर ली है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी के पुनः कारागार से मुक्त होने पर पुनः अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी के जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा बन्दी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि (1) प्रथम केस- रास्ते के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 15.07.2005 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टे से गोली मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या की गयी तथा बन्दी द्वारा कट्टे से फायर किये जाने के दौरान अपने भाई दीपू उर्फ दीपचन्द की गोली लगने से मृत्यु हो गयी। (2) द्वितीय केस- आपसी विवाद की रंजिश को लेकर 06.01.1998 को बन्दी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर भाला, बल्लम व तमन्चे से गोली मारकर जय सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। बन्दी द्वारा 02 अलग-अलग वादों में 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

shasanadesh.up.gov.in

अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी शिवचन्द यादव पुत्र महादेव यादव, निवासी जनपद-आजमगढ़ को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।